

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक :प.9(1)गृह-12/कारा/2019

जयपुर, दिनांक 22 APR 2019

महानिदेशक कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- नवनिर्मित महिला बंदी सुधारगृह, कोटा को जेल घोषित कराने
बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नवनिर्मित महिला बंदी सुधारगृह, कोटा को जेल
घोषित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश के परिपेक्ष्य में
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर द्वारा राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित असाधारण
अंक की मुद्रित प्रतियों की छायाप्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(शंकर सिंह मनोहर)
सहायक शासन सचिव

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक/कारा/भवन/महिला बंदी सुधारगृह कोटा/2019/8056-87

दिनांक:- 14/05/19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. मण्डलाधिकारी एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर,
कोटा, उदयपुर, अलवर, श्रीगंगानगर को उक्तानुसार पृष्ठांकन के साथ प्रेषित कर लेख है
कि नवनिर्मित महिला बंदी सुधारगृह, कोटा के संबन्ध में अधीनस्थ कारागृहों पर सूचित
करावे।
3. प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
4. प्रभारी, स्थापना शाखा, बंदी शाखा, सामान्य शाखा, मुख्यालय कारागार, राज. जयपुर।
5. प्रभारी, समस्त शाखा, मुख्यालय कारागार, राज. जयपुर।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को वास्ते वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(रूपिन्दर सिंघ)

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

216

DIG RANGE JAIPUR/Vividh letter/(18-19)

(Email id-bhawanjhq@gmail.com)

telephone number- 0141-2619202, 2616448 (exchange-105)